उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 756–पारे0अनु0–16/पाट्राकालि–2020–11(1)/19 टी0सी0 दिनांकः 21 सितम्बर, 2020

मुख्य अभियन्ता (पारे0 क्षेत्र दक्षिण–पूर्व)/(पारे0 क्षेत्र उत्तर–पूर्व)/
(पारे0 क्षेत्र दक्षिण–मध्य)/(पारे0 क्षेत्र दक्षिण–पश्चिम)/
(पारे0प0)/(पारे0म0)/(संचार एवं नियंत्रण)/
(ऊर्जा प्रणाली परिचालन)/(सी0एम0यू0टी0)/
(765 एवं 400 के0वी0 परिकल्पना इकाई)/(नियोजन)/
(जानपद पारेषण–प्रथम/द्वितीय)/
उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0,
प्रयागराज/गोरखपुर/झाँसी/आगरा/मेरठ/लखनऊ।

ई–मेल

विषयः **ई–टेण्डर प्रणाली के कियान्वयन से सम्बन्धित मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06.07.2020 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनु सचिव, ऊर्जा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन से प्राप्त पत्र संख्या–717/24–पी–2–20–सा0(03)/2020 दिनांक 08.09.2020 के माध्यम से प्राप्त कार्यवृत्त (दिनांक 06.07.2020 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में ई–टेण्डर प्रणाली के कियान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु आहूत बैठक विषयक) की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न कार्यवृत्त के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनिल पाठक)
उप सचिव (पारेषण–तृतीय)

संख्या : 756–पारे0अनु0–16/पाट्राकालि/2020 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव (पारेषण प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

7. उप सचिव (पारेषण–प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(अनिल पाठक)
उप सचिव (पारेषण–तृतीय)

महत्वपूर्ण / शीर्ष / प्राथमिकता
संख्या–717 / 24–पी–2–20–सा0(03) / 2020

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
1–उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2–उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3–उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4–उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक : 8 सितम्बर, 2020

विषय:– ई–टेण्डर प्रणाली के क्रियान्वयन से संबंधित मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06.07.2020 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 के पत्र संख्या–543 / 78–2–2020–42आई0टी0 / 2017, दिनांक 13.07.2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06.07.2020 को अपरान्ह 5:15 बजे लोक भवन, स्थित उनके सभा कक्ष में ई–टेण्डर प्रणाली के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु तीन बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर अन्तिम लिये जाने हेतु आहूत बैठक की कार्यवृत्त निर्गत किया गया है। उपरोक्त कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कार्यवृत्त के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या–717(1) / 24–पी–2–19, तददिनांक

उक्त की प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

D(P&A), UPPTCL
आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(Rishi Tandon)
Company Secretary
UP Power Transmission Corporation Ltd.
Shakti Bhawan, Lucknow

H.S Misra LETTER-2020

No. 409 /UPPTCL
Date 10/09/2020

No-728/CS/Transco/2020
Date- 11-09-2020

14.9.20

717/मु-2/2020

(मा 30/1/20)

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06—07—2020 को अपरान्ह 5:15 बजे लोक भवन स्थित उनके सभा कक्ष में ई—टेण्डर प्रणाली के कियान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु 03 बिन्दुओं पर विचार—विमर्श कर अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति संलग्न है।

भा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में ई—टेण्डर प्रणाली के कियान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नलिखित 03 बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु दिये गये निदेशों के कम में उक्त बैठक सम्पन्न हुई:—

1. ई—टेण्डर प्रणाली के अन्तर्गत सभी विभागों में ठेकेदारों का पंजीयन 01 दिसम्बर, 2019 से ऑनलाइन प्रणाली के आधार पर लागू किया जाए।
2. 01 दिसम्बर, 2019 से सभी विभागों में तकनीकी बिड्स के आनलाइन मूल्याकन की व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू किया जाए।
3. ठेकेदारों को वित्तीय क्षमता/हैसियत के आधार पर किसी एक विभाग में पंजीकृत होने के आधार पर उन्हे अन्य सभी विभागों में कार्य की प्रकृति के आधार पर निविदा प्रकिया में प्रतिभाग हेतु मार्गदर्शी सिंद्वात तैयार किया जाए।

3979/PSE/20 VS(B)

13-07-2020
(अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा एवं अति. ऊर्जा स्रोत विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

बैठक में उपस्थित अधिकारियों के साथ हुए विस्तृत विचार—विमर्श के उपरान्त बिन्दुवार कार्यवाही हेतु निम्नवत मत स्थिर किया गया:—

बिन्दु संख्या—1 ई—टेण्डर प्रणाली के अन्तर्गत सभी विभागों में ठेकेदारों का पंजीयन दिनांक 01 दिसम्बर, 2019 से ऑनलाइन प्रणाली के आधार पर लागू किया जाए।

JS(MS) USG1 5418/05(5)/20 13-07-20

चर्चा के उपरान्त सभी विभागों की सहमति से यह मत स्थिर किया गया कि सड़कों, भवनों तथा पुल/पुलियों के कार्यो के लिए ठेकेदारों का पंजीयन केवल लोक निर्माण विभाग के वर्तमान में संचालित ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से ही किया जाएगा और सभी विभाग/निगम लोक निर्माण विभाग की ऑनलाइन प्रणाली पर पंजीकृत ठेकेदारों को अपने कार्यो के लिए मान्य करेंगे। इस नई व्यवस्था को शासनादेश जारी किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि में पूर्णतया लागू कर दिया जाएगा और इस तीन माह की अवधि में सभी विभाग यह सुनिश्चित करायेंगे कि उनके विभाग में कार्यरत और इच्छुक ठेकेदार लोक निर्माण विभाग की ऑनलाइन प्रणाली पर अपना पंजीयन करा लें। इस तीन माह की अवधि के बाद सभी विभाग केवल लोक निर्माण विभाग के ऑनलाइन पंजीकृत ठेकेदारों को ही अपने यहाँ मान्य करेंगे।

S.O-2 13/07/2020
आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव
ऊर्जा अनुभाग-2
उत्तर प्रदेश शासन

इसी प्रकार यह भी मत स्थिर किया गया कि नहरों/नालों की खुदाई व सफाई के कार्य तथा ड्रेनेज से सम्बन्धित कार्यो के लिए सिंचाई विभाग द्वारा एक माह के भीतर ठेकेदारों के आनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था को तैयार कर लिया जायेगा जिसके

Recd
10/7/2020

उपरान्त इन प्रकृति के कार्यो के लिए प्रदेश के सभी विभाग सिंचाई विभाग की ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था पर पंजीकृत ठेकेदारों को ही मान्य करेंगे।
पेयजल, सीवर आदि के कार्यो के लिए ठेकेदारों के पंजीकरण पर भी चर्चा हुई। जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उन्होंने ठेकेदारों की पंजीकरण की व्यवस्था समाप्त कर दी है। यह मत स्थिर किया गया कि जल निगम इस सम्बन्ध में अलग से चर्चा कर लेंगे और तद्नुसार इन प्रकृति के कार्यो के लिए केन्द्रीय कृत ठेकेदारों की पंजीकरण की आनलाइन व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा।

बिन्दु संख्या–2 दिनांक 01 दिसम्बर, 2019 से सभी विभागों में तकनीकी बिड्स के ऑनलाइन मूल्यांकन की व्यवस्थापूर्ण रूप से लागू की जाए।

वर्तमान में एन.आई.सी. द्वारा विकसित ई–प्रोक्योरमेन्ट आनलाइन प्रणाली में तकनीकी बिड्स के ऑनलाइन मूल्यांकन की सुविधा उपलब्ध है, जिसका डिमाण्ट्रेषन यू. पी.एल.सी. द्वारा माह जून, 2020 में विभागों को दिया भी जा चुका है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग ने अपने विभागीय कार्यो के लिए तकनीकी बिड की ऑनलाइन मूल्यांकन की व्यवस्था विकसित की है जिसकी टेस्टिंग की जारी है, परन्तु इस व्यवस्था में लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों के सम्बन्ध में अन्य विस्तृत डेटा भी लिंक कर रहे हैं।

बिचारोपरान्त यह मत स्थिर किया गया कि लोकनिर्माण को छोड़कर अन्य सभी विभाग/निगम अनिवार्य रूप से 16 अगस्त, 2020 से तकनीकी बिड्स का मूल्यांकन एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधा के द्वारा ऑनलाइ नही करना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए यू.पी.एल.सी. को निर्देश दिए गये कि वे अगले तीन दिन में विभागवार प्रशिक्षण का कार्यक्रम जारी कर दें और सभी विभागों का प्रशिक्षण माह जुलाई, 2020 में ही कराना सुनिश्चित करें। लोक निर्माण विभाग भी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा विकसित की जा रही तकनीकी बिड्स ऑनलाइन मूल्यांकन की प्रणाली प्रत्येक दशा में दिनांक 16 अगस्त, 2020 से पूरे प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यो के लिए अनिवार्य रूप से लागू कर दी जाए।

बिन्दु संख्या–3 ठेकेदारों को वित्तीय क्षमता/हैसियत के आधार पर किसी एक विभाग में पंजीकृत होने के आधार पर उन्हें अन्य सभी विभागों में कार्य की प्रकृति के आधार पर निविदा प्रकिया में प्रतिभाग करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किया जाए।

इस कार्यबिन्दु को पूर्णतया लागू करने के लिए यह आवश्यक होगा कि सभी विभागों की कार्य प्रणाली को केन्द्रीयकृत कर एक ही स्थान से ठेकेदारों को वर्क आर्डर बिड कैपसिटी के अनुसार दिये जाए तथा साथ ही सभी ठेकेदारों के भुगतान इस केन्द्रीयकृत प्रणाली से एक ही स्थान से किए जायें ताकि बिड़ कैपसिटी को डायनेमिक रूप से अपडेट किया जा सके। इस सम्बन्ध में एन.आई.सी. ने अवगत कराया कि वे पूरे प्रदेश में इस प्रकार की प्रणाली विकसित करने के लिए साफ्टवेयर बनाने की कार्यवाही पर विचार कर रहे हैं।

विचारोपरान्त बैठक में यह मत्त स्थिर किया गया कि वर्तमान में सभी विभाग बिड कैपसिटी तक की सीमा तक ही कार्य अवार्ड करने के लिए सम्बन्धित ठेकेदारों से स्वघोषणा पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था को कड़ाई से लागू करेंगें। साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में अपने विभागीय कार्यो के लिए बिड कैपसिटी की सीमा तक के कार्य अवार्ड करने की व्यवस्था के लिए जो आनलाइन सिस्टम विकसित किया जा रहा है उसको उनके द्वारा समयबद्ध रूप से कियान्वित कराया जायेगा, जिसके अनुभव के आधार पर अन्य विभागों के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करना समीचीन होगा।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद–ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवँ इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2
संख्या-[illegible]/78–2–2020–42आई0टी0/2017
लखनऊः दिनॉक [illegible] जुलाई 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सिंचाई/ऊर्जा/ग्रामीण अभियन्त्रण/आवास विकास/पंचायती राज/नगर विकास/राजस्व/कृषि/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव/अध्यक्ष ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रकोष्ठ, लो0 निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
[illegible]/07/2020
(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव